

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या : 22/2021

तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

01. मोहनलाल पिता रामलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.

..... प्रार्थी

बनाम

01. मांगीलाल पिता हरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
02. मोहनलाल पिता हरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
03. छीतर पिता भूरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
04. शान्तिलाल पिता भूरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
05. नानालाल पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
06. शंकरलाल पिता कजोड जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 30/11/2021

प्रार्थना पत्र मोहनलाल पिता रामलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. नयी 170 पर अंकित आराजी सं. 229 रकबा 6-17 बीघा भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान काँइया... में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. नयी 170 पर अंकित आराजी सं. 229 रकबा 6-17 बीघा भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू०अ०नि० बिजौलियां खूर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(स्वीकार की)

प्रशासन उपखण्ड अधिकारी 2021

(उपबिजौलियां प्रो.)

बिजौलियां (भीलवाड़ा)